# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "सलियाणा" तहसील पालमपुर, जिला काँगड़ा के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2015

## भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–** संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की कार्रवाई की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–7 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–8 (क) | अनिर्णीत | |

**(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत) |
| 2 | पैरा–4 | निर्णीत | (वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित) |
| 3 | पैरा–5 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–6 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–7 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 6 | पैरा–8 | निर्णीत | (स्वीकृति देख ली गई है) |
| 7 | पैरा–9 | आंशिक निर्णीत | |
| 8 | पैरा–10 | निर्णीत | (रेट कॉन्ट्रेक्ट देख लिया गया है) |

## भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलियाणा के अवधि 4/2010 से 3/2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में दिये गये है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 02.7.2015 से 13.7.2015 के दौरान उक्त संस्था के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 8/10, 8/11, 7/12, 7/13 व 2/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 4/10, 1/12, 12/12, 3/14 व 3/15 को चयनित किए गएं।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने संस्था में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–**

| क्र0सं0 | प्रधानाचार्य का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री एस0के0 गुप्ता | 1.4.10 से 22.1.11 |
| 2 | श्री एस0के0 सहोत्रा | 23.1.11 से लगातार |

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलियाणा के अवधि 4/2010 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126 दिनाँक 13.7.15 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 684874 दिनाँक 29.7.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलियाणा द्वारा प्रस्तुत संस्था की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही:–

| वर्ष | आरम्भिक शेष | वर्ष में प्राप्त आय | वर्ष में प्राप्त ब्याज | जोड़ | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 562162 | 277630 | 10236 | 850028 | 237719 | 612309 |
| 2011–12 | 612309 | 247485 | 13758 | 873552 | 62408 | 811144 |
| 2012–13 | 811144 | 194015 | 11374 | 1016533 | 262075 | 754458 |
| 2013–14 | 754458 | 251948 | 82026 | 1088432 | 257275 | 831157 |
| 2014–15 | 831157 | 783152 | 56773 | 1671082 | 351573 | 1319509 |

**अन्तशेष का विवरण:–**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | दिनाँक 31.3.2015 तक के0सी0सी0बैंक पंचरूखी के बचत खाता संख्या 20054007447 में जमा राशि | 735472 |
| (ख) | दिनाँक 31.3.15 तक सावधि में निवेशित राशि | 584037 |
| | **कुल जोड़** | **₹1319509** |

**5 निवेश:–** दिनाँक 31.3.2015 तक संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित ₹584037/– का विवरण निम्न प्रकार से है:–

| एफ0डी0आर0 न0व0 बैंक | निवेश की तिथि | अवधि | निवेशित राशि | परिपक्वता दिनाँक | परिपक्वता राशि | ब्याज की दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50059548195 के0सी0सी0 | 29.8.14 | 1 साल | 435700 | 29.8.15 | 476256 | 9% |
| 50056756811 के0सी0सी0 | 29.9.14 | 1 साल | 148337 | 28.9.15 | 162145 | 9% |
| | | **कुल जोड़** | **₹584037** | | | |

**6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने बारे**

जाँच के दौरान छात्रों से वसूली गई फीस से सम्बन्धित रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

**7 रसीदों में कुल राशि का जोड न दर्शाना तथा मूल रसीद को छात्रों को जारी न करना**

अंकेक्षण के दौरान रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर रसीदों में कुल जोड़ नहीं किया गया था तथा मूल रसीदें भी सम्बन्धित छात्रों को जारी नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में रसीदों में कुल राशि का जोड़ दर्शाया जाए तथा मूल रसीदें सम्बन्धित छात्रों को जारी करनी सुनिश्चित की जाए।

**8 रोकड़ बही को सत्यापित न करने बारे**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अवधि 23.9.2010 से 17.1.2011 की रोकड़ बही प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं है, जिसके अभाव में रोकड़ बही की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अवधि की रोकड़ बही को प्रधानाचार्य से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**9 जुर्माने निधि के रूप में ₹175/– कम वसूलने बारे**

प्रॉस्पेक्टस के अनुच्छेद 11.5 के अनुसार सत्र 2012–13 में छात्रों से आधा दिन अनुपस्थित रहने पर ₹10 तथा पूरा दिन अनुपस्थित रहने पर ₹20 जुर्माने के रूप में वसूलनी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच करने पर पाया गया कि इलेक्ट्रोनिक ट्रेड के छात्रों से माह जून 2013 में आधा दिन की ₹5/– की दर से तथा पूरा दिन की ₹10/– की दर से कुल ₹175/–की ही वसूली की गई, जबकि ₹350/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार (₹350–175=₹175) की कम वसूली की गई। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹175/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र कल्याण निधि में जमा की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

**10 रजिस्ट्रेशन फीस की ₹7000/– कम वसूलने बारे**

प्रॉस्पेक्टस के अनुच्छेद 4.1 (छ) के अनुसार वर्ष 2010–11 में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ₹200/– की वसूली करनी अपेंक्षित थी, परन्तु जाँच में

पाया गया कि उक्त वर्ष में 35 छात्रों से उक्त शुल्क की कुल ₹7000/– की वसूली नहीं की गई। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹7000/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

## 11 Mess Charges के रूप में ₹50/– का अधिक व्यय करने बारे

वाउचर संख्या शून्य दिनाँक 8.6.2010 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 शाहपुर को Mess Charges के रूप में ₹6770/– भुगतान की गई है, जबकि इससे सम्बन्धित Mess की रसीद में ₹6720/– अंकित थी। इस प्रकार (6770–6720=₹50) का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹50/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जायें।

## 12 कुटेशनों के आधार पर खरीद न करने बारे

संस्था द्वारा निम्नविवरणानुसार एच0पी0एफ0आर0–97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर नहीं की गई है, जबकि कुटेशनो के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। उक्त के अभाव में इस खरीद हेतु भुगतान की गई दरो की अंकेक्षण मे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

| फर्म का नाम | विवरण | बिल संख्या | दिनाँक | राशि |
|---|---|---|---|---|
| मै0 गुजर मल एंड सन्ज पालमपुर | 5 टूल किट | 1769 | 26.10.12 | 20000 |
| –यथोपरि– | –यथोपरि– | 2881 | शून्य | 24700 |
| –यथोपरि– | –यथोपरि– | 2883 | शून्य | 19950 |

## 13 छात्र कल्याण निधि से ₹53391/– के बिजली के बिलों का अनियमित व्यय करने बारे तथा उक्त भुगतान की गई राशि में से शेष ₹31581/– की प्रतिपूर्ति न करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹53391/– का भुगतान कार्यालय बिजली बिलों के लिए किया गया, जोकि अधिसूचना संख्या EDN (TE) –A(3)-2/2004 दिनाँक 8.7.2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा इस राशि मे से ₹21810/– की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से कर ली गई है, परन्तु शेष ₹31581/– की दिनांक 31.3.2015 तक प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करनी शेष है। अतः शेष ₹31581/– की वसूली उचित स्त्रोत से

शीघ्र अतिशीघ्र करके उक्त निधि में जमा की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**14 अग्रिम ₹47674/– के समायोजन से सम्बन्धित बिल/वाउचर पारित न करने बारे**

अंकेाण के दौरान जाँच में पाया गया कि माह 6/2010 में श्रीमती तृप्ता देवी HCM को ₹47000/– का भुगतान Boys व Girls खेल प्रतियोगिता हेतु अग्रिम के रूप में किया गया, परन्तु उक्त प्रतियोगिता से सम्बन्धित अग्रिम के समायोजन हेतु प्रस्तुत ₹47674/– के बिल व वाउचर बिना पारित ही समायोजित कर दिए गए। अतः बिल व वाउचर पारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन बिलो को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर, की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**15 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे**

अंकेक्षण के दौरान संस्थान द्वारा अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में संस्थान द्वारा अग्रिम कब–कब दिया गया तथा कितना–कितना अग्रिम दिया गया तथा किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया गया तथा कितनी राशि शेष बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,<br>
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,<br>
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2) सी 15 (xi)(ii) 470/2003–6430–6431 दिनांक31.10.2015, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

**पंजीकृत** 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलियाणा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.